dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पंत्राक– 5223 / 12-1 दिनांक , चकराता 17 जून 2016

सेवा में,

सहायक निदेशक / नोडल अधिकारी,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
कालसी, जिला–देहरादून

विषय :– राजकीय औद्योगिक संस्थान, कालसी के भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– 1–इस कार्यालय का पत्रांक–4498 / 12–1 दि0 25.04.2016
2–प्रस्ताव संख्या–FP/UK/SCH/18587/2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

1–अपर सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0–36(I)/XLI-1/16-32 (प्रशि0) / 2009 दि0 13.01.2016 द्वारा निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल को निर्देश दिये गये थे कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी का भवन निर्माण प्रस्तावित वन भूमि कालसी में कराये जाने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विभाग के नाम वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था।

2–उक्त पत्र की प्रति उनके द्वारा प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन तथा अपर प्रमुख वन संरकक्षक / नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की गई थी। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, अपर प्रमुख वन संरकक्षक / नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून अथवा किसी अन्य आदेश से वन भूमि हस्तान्तरण हेतु कोई दिशा–निर्देश अथवा शासनादेश निर्गत किये गये है अथवा नही। यदि इस सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश अथवा शासनादेश जारी हुआ है तो उसकी प्रति प्रस्ताव में चस्पा की जाये। इसके उपरान्त ही ऑनलाईन की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो पायेगा।

3–प्रस्ताव के प्रपत्र–5 में सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0–52/XLI-1/2015-24 / (प्रशि0) / 13टी.सी. दि0 30.03.2015 में वित्त विभाग का शासनादेश सं0–318 / XXVII(1) / 2014 दि0 18.03.2014 का वर्णन किया गया है। जिसकी प्रति प्रस्ताव में चस्पा नही की गई। उक्त शासनादेश की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 दिवाकर सिन्हा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3–वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4–जिलाधिकारी, देहरादून।
5–निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।

(डा0 दिवाकर सिन्हा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

NEW 3171